क्रमांक

नगर निगम मेरठ

(अनावासीय)

स्वकर निर्धारण
(एक दृष्टि में)

RS-30/-

विवरणिका

क्र0सं0	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	शासनादेश संख्या 3005/नौ–9–2013–85ज/05 टी०सी०	02
2.	उ०प्र० शासन नगर विकास अनुभाग–9 संख्या 1463/9–9–2010ज/2005 टी०सी०	03—09
3.	टैक्स की सूची – वार्ड 1 से लेकर 90 तक	10—22
4.	बैंक का विवरण	23
5.	अनावासिक भवनों की सम्पत्ति कर स्वकर निर्धारण प्रपत्र–ग	25—26
6.	अनावासिक भवनों की सम्पत्ति कर स्वकर निर्धारण प्रपत्र–घ	27

महत्वपूर्ण

संख्या–3005 / नौ–9–2013–85ज / 05 टी0सी0

प्रेषक,

श्री प्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
स्थानीय निकाय, उ0प्र0
लखनऊ।

2. समस्त नगर आयुक्त
नगर निगम
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग– 9 लखनऊ : दिनांक : 27 दिसम्बर, 2013

विषयः– उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (द्वितीग संशोधन) नियमावली, 2013 का प्रख्यापन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह करने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2013 अधिसूचना संख्या 1463 / 9–9–2013–85ज / 05 टी0सी0 दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 द्वारा प्रख्यापित की गई। उक्त नियमावली की एक प्रति अनुपालनार्थ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया नियमावली के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय

(श्री प्रकाश सिंह)
विशेष सचिव

संख्या (1) / नौ–9–2013–85ज / 05 टी0सी0 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को नियमावली की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. संयुक्त जिलाधिकारी, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि कृपया संलग्न अधिसूचना संख्या 1463 / 9–9–2013–85ज / 05 टी0सी0 दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 की हिन्दी एवं अंग्रेजी को सरकारी गजट उ0प्र0 असाधारण, विधायी परिशिष्ट भाग–4, खण्ड–ख में दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 की तिथि में प्राथमिकता के आधार पर प्रकाशित कराकर उसकी 250 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. वेब मास्टर को वेब साइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(श्री प्रकाश सिंह)
विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–9
संख्या– 1463/9–9–2010–85ज/2005 टी0सी0

लखनऊ दिनांक 27 दिसम्बर, 2013

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 174, 207–क, 207–ख, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 213, 214 और 221–ख के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 540 की उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित जारी सरकारी अधिसूचना संख्या 1231/9–9–2010–85ज/2009 टी0सी0 दिनांक 8 जून, 2010 के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों के विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है –

उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ	1–(1)	यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2013 कहीं जायेगी।
	(2)	यह उत्तर प्रदेश के समस्त नगर निगमों पर लागू होगी।
	(3)	यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
नियम–2 का संशोधन	2–	उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली 2000, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम–2 में खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा अर्थात् :– (पांच घ–1) "अनावासीय भवन" का तात्पर्य ऐसे, किसी भवन या स्थान या भूमि या भवन या उसके भाग से है जो अनावासिक हो और जो उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (1) के खण्ड (1) के अधीन आच्छादित हो।

विद्यमान नियम भवन या भूखण्ड का कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्रफल का विवरण	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम किसी भवन या भूखण्ड का कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्र का विवरण
3. (1) नगर आयुक्त समाचार–पत्रों में एक सूचना प्रकाशित करके सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दांयी स्वामी या अध्यासी से इन नियमावली में संलग्न प्रपत्र "ख" में यथा स्थिति आवासीय भवन या भूखण्ड के कारपेट एरिया और अन्य क्षेत्रफल के सम्बन्ध में प्रत्येक चार वर्ष में एक विवरण कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ उक्त सूचना में नियत दिनांक तक प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।	3. (1) नगर आयुक्त समाचार–पत्रों में एक सूचना प्रकाशित करके सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दांयी स्वामी या अध्यासी से इन नियमावली में संलग्न प्रपत्र "ख" और प्रपत्र 'घ' में यथा स्थिति आवासीय भवन या भूखण्ड के कारपेट एरिया और अनावासीय भवन के आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल के सम्बन्ध में प्रत्येक चार वर्ष में एक विवरण कर निर्धारण के प्रयोजनार्थ उक्त सूचना में नियत दिनांक तक प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।
(2) नगर आयुक्त सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी की सुविधा के लिए प्रपत्र 'ख' और 'घ' में विवरण प्रस्तुत करने के लिए नगर के विभिन्न वार्डों के लिए विभिन्न स्थानों को नियत कर सकता है।	(2) नगर आयुक्त सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी की सुविधा के लिए प्रपत्र 'ख' और 'घ' में विवरण प्रस्तुत करने के लिए नगर के विभिन्न वार्डों के लिए विभिन्न स्थानों को नियत कर सकता है।

(3) जब कभी स्वामी द्वारा स्व–अध्यासित या खाली भवन को किराये पर दिया जाय या इसके विपरीत हो, तो ऐसा होने के साठ दिन के भीतर स्वामी के लिए प्रपत्र "ख" और "घ" में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा।	(3) जब कभी स्वामी द्वारा स्व–अध्यासित या खाली भवन को किराये पर दिया जाय या इसके विपरीत हो, तो ऐसा होने के साठ दिन के भीतर स्वामी के लिए प्रपत्र "ख" और "घ" में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा।
(4) जब किसी भवन में निर्माण या पुनर्निर्माण के फलस्वरूप, आच्छादित क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत या अधिक की वृद्धि हो जाती है तो निर्माण के समापन या अध्यासन के दिनांक से साठ दिन के भीतर यथास्थिति स्वामी या अध्यासी के लिए प्रपत्र "ख" और "घ" में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा।	(4) जब किसी भवन में निर्माण या पुनर्निर्माण के फलस्वरूप, आच्छादित क्षेत्रफल में 25 प्रतिशत या अधिक की वृद्धि हो जाती है तो निर्माण के समापन या अध्यासन के दिनांक से साठ दिन के भीतर यथास्थिति स्वामी या अध्यासी के लिए प्रपत्र "ख" और "घ" में एक नया विवरण प्रस्तुत करना आज्ञापक होगा।

नियम–4 का संशोधन 4. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 दिये गये नियम–4 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् –

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम 4–सम्पत्तियों का वर्गीकरण–	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 4–सम्पत्ति का वर्गीकरण–
(1) नगर आयुक्त, अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबंधों के अन्तर्गत न आने वाली सम्पत्ति की अवस्थिति का वार्डवार वर्गीकरण करेगा और तत्पश्चात् प्रत्येक वार्ड के भीतर तीन विभिन्न प्रकार के मार्गो पर सम्पत्ति की स्थिति के आधार पर इसे वर्गीकृत किया जायेगा, अर्थात् (क) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाला मार्ग, (ख) 12 मीटर से 24 मीटर तक का चौड़ाई वाला मार्ग (ग) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाला मार्ग।	(1) नगर आयुक्त, अधिनियम की धारा 174 के उपबंधों के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्ति की अवस्थिति का वार्डवार वर्गीकरण करेगा और तत्पश्चात् प्रत्येक वार्ड के भीतर तीन विभिन्न प्रकार के मार्गो पर सम्पत्ति की स्थिति के आधार पर इसे वर्गीकृत किया जायेगा, अर्थात् (क) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाला मार्ग, (ख) 12 मीटर से 24 मीटर तक का चौड़ाई वाला मार्ग (ग) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाला मार्ग।
(2) नगर आयुक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाले भवनों के निर्माण की प्रकृति का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करेगा– (क) पक्का भवन, आर0सी0सी0 छत या आ0बी0छत सहित, (ख) अन्य पक्का भवन, या (ग) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो कि खण्ड (क) और (ख) से आच्छादित नहीं है।	(2) नगर आयुक्त अधिनियम की धारा 174 के उपबन्धों के अन्तर्गत आने वाले भवनों के निर्माण की प्रकृति का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करेगा– (क) पक्का भवन, आर0सी0सी0 छत या आर0बी0छत सहित, (ख) कोई अन्य पक्का भवन, या (ग) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो कि खण्ड (क) और (ख) से आच्छादित नहीं है।
(3) नगर आयुक्त तदनुसार वार्ड में नीचे दर्शाये गये अनुसार सभी भवनों को नौ विभिन्न समूह की अधिकतम संख्या में और सभी रिक्त भूखण्डों के मामलों में तीन विभिन्न समूह की अधिकतम संख्या में व्यवस्थित करेगा– (क) भवन के मामले में निम्नलिखित नौ समूह होगें– (एक) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर0सी0सी0 छत सहित पक्का भवन। (दो) 12 मीटर से 24 मीटर चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर0सी0सी0 छत सहित पक्का भवन।	(3) नगर आयुक्त तद्नुसार वार्ड में नीचे दर्शाये गये अनुसार सभी भवनों को नौ विभिन्न समूह की अधिकतम संख्या में और सभी रिक्त भूखण्डों के मामलों में तीन विभिन्न समूहों की अधिकतम संख्या में व्यवस्थित करेगा– (क) भवन के मामले में निम्नलिखित नौ समूह होगें– (एक) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर0सी0सी0 छत सहित पक्का भवन। (दो) 12 मीटर से 24 मीटर चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित आर0सी0सी0 छत सहित पक्का भवन।

(तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित पक्का भवन आर0सी0सी0 छत सहित।

(चार) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।

(पाँच) 12 मीटर से 24 मीटर अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।

(छः) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।

(सात) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।

(आठ) 12 मीटर से अधिक 24 मीटर चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।

(नौ) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।

(ख) भूमि के मामले में निम्नलिखित तीन समूह होंगे,

(1) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

(2) 12 मीटर से 24 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

(3) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित पक्का भवन आर0सी0सी0 छत सहित।

(चार) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।

(पाँच) 12 मीटर से 24 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।

(छः) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित अन्य पक्का भवन।

(सात) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।

(आठ) 12 मीटर से 24 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।

(नौ) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित कच्चा भवन।

(ख) भूमि के मामले में निम्नलिखित तीन समूह होंगे,

(1) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

(2) 12 मीटर से 24 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

(3) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भूमि।

नियम–4 का संशोधन 5. उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये का संशोधन नियम–4 क के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् –

स्तम्भ–1

विद्यमान नियम

4–क न्यूनतम मासिक किराये की दर का निर्धारण

नगर आयुक्त वार्ड के भीतर प्रत्येक दो वर्ष में एक बार यथास्थिति भवनों के प्रत्येक समूह के लिए कारपेट एरिया की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) न्यूनतम मासिक किराये की दर या भूमि के प्रत्येक समूह के लिए क्षेत्रफल की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराये की दर तैयार करेगा और निम्न को ध्यान में रखते हुए नियत करेगा–

(एक) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिए कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल दर, और

(दो) ऐसे भवन या भूमि के लिए क्षेत्र में वर्तमान किराये की न्यूनतम दर,

प्रतिबंध यह है कि ऐसे मासिक किराये की दर नियत करने के पूर्व नगर आयुक्त ऐसी प्रस्तावित दरों को ऐसे नगर में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात् हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्तियाँ दाखिल करने के लिए न्यूनतम 15 दिन का समय देगा। प्राप्त आपत्तियों का बारह भिन्न–भिन्न बण्डलों की अधिकतम संख्या में समूह बनाने के पश्चात ऐसी सभी आपत्तियों पर वार्डवार सुनवाई की जायेगी। प्रत्येक बण्डल में यथास्थिति भवनों के एक समूह या भूमि के एक समूह के लिए प्राप्त आपत्तियाँ रहेंगी। सभी आपत्तियों का निस्तारण स्वयं नगर आयुक्त द्वारा या

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

4–क न्यूनतम मासिक किराये की दर का निर्धारण

नगर आयुक्त वार्ड के भीतर प्रत्येक दो वर्ष में एक बार यथास्थिति भवनों के प्रत्येक समूह के लिए कारपेट एरिया की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) न्यूनतम मासिक किराये की दर या भूमि के प्रत्येक समूह के लिए क्षेत्रफल की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराये की दर की गणना करेगा और निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए आवासिक भवन के रूप में दर नियत करेगा–

(एक) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिए कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर, और

(दो) ऐसे भवन या भूमि के लिए क्षेत्र में किराये की वर्तमान न्यूनतम दर,

प्रतिबंध यह है कि ऐसे मासिक किराये की दर नियत करने के पूर्व नगर आयुक्त ऐसी प्रस्तावित दरों को ऐसे नगर में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात् हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्तियाँ दाखिल करने के लिए न्यूनतम 15 दिन का समय देगा। प्राप्त आपत्तियों का बारह भिन्न–भिन्न बण्डलों की अधिकतम संख्या में समूह बनाने के पश्चात ऐसी सभी आपत्तियों पर वार्डवार सुनवाई की जायेगी। प्रत्येक बण्डल में यथास्थिति भवनों के एक समूह या भूमि के एक समूह के लिए प्राप्त आपत्तियाँ रहेंगी। सभी आपत्तियों का निस्तारण स्वयं नगर आयुक्त द्वारा या

नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ताओं की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् किया जायेगा। यह आवश्यक नहीं होगा कि सभी आपत्तिकर्ताओं को या हितबद्ध व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से सुना जाय। आपत्तियों का बण्डलवार विनिश्चित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण—कारपेट एरिया के निर्धारण में निहित कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए आच्छादित क्षेत्रफल के आधार पर दरें कारपेट एरिया आधारित दरों का 80 प्रतिशत होगी जिन्हें स्वकर निर्धारण के लिए माना जायेगा।

नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ताओं की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् किया जायेगा। यह आवश्यक नहीं होगा कि सभी आपत्तिकर्ताओं को या हितबद्ध व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से सुना जाय। आपत्तियों का बण्डलवार विनिश्चित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण—कारपेट एरिया के निर्धारण में निहित कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए आच्छादित क्षेत्रफल के आधार पर दरें कारपेट एरिया आधारित दरों का 80 प्रतिशत होगी जिन्हें स्वकर निर्धारण के लिए माना जायेगा।

(2) अनावसिक भवनों और भूमि की स्थिति में आच्छादित क्षेत्रफल और भूमि की प्रति इकाई मासिक किराये की दर उप नियम (1) के अधीन नियत किराये की मासिक दर का गुणांक होगा, जैसा कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित है।

अनुसूची

श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की मासिक किराये की दर
1.	प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक काम्पलेक्स दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान, बैंक कार्यालय, होटल, तीन स्टार तक के होटल, निजी होटल, कोचिंग और प्रशिक्षण संस्थान (राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त को छोड़कर)	उपनियम (1) के नियत दर का पांच गुना।
2	प्रत्येक प्रकार के क्लीनिक, पालीक्लीनिक, डायग्नोस्टिक केन्द्र, प्रयोगशालाएँ, नर्सिंग होम, चिकित्सालय मेडिकल स्टोर और स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र आदि	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का तीन गुना।
3.	क्रीड़ा केन्द्र यथा जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि और थियेट्र तथा सिनेमागृह	उपनियम (1) के अधीन नियम दर का दो गुना
4.	छात्रावास और शैक्षिणिक संस्थान, जो अधिनियम की धारा 177 के खण्ड (ग) के अधीन आच्छादित नहीं है।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर के समान।
5.	पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी डिपो और गोदाम आदि	उपनियम (1) के अधीन नियम दर का तीन गुना
6.	माल्स, बार सितारा और उससे ऊपर के होटल, पब्स, बार, वासगृह जहाँ भोजन के साथ मदिरा भी परोसी जाती है।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का छः गुना
7.	सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप, विवाह क्लब और इसी प्रकार के भवन	उपनियम (1) के नियत दर का तीन गुना
8	औद्योगिक इकाइयाँ, सरकारी, अर्द्ध–सरकारी और सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का तीन गुना
9	टावर और होर्डिंग वाले भवन, टी.वी. टावर, दूरसंचार टावर या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर पर या खुले स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाते है।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का चार गुना

10	अन्य प्रकार के अनावासिक भवन जो उपर्युक्त श्रेणियों में उल्लिखित नहीं है।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का तीन गुना

नियम–4 का संशोधन 6. . उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 दिये गये नियम–4 क के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् –

स्तम्भ–1

विद्यमान नियम

4–ग कर निर्धारण–कर का निर्धारण निम्नांकित के आधार पर किया जायेगा–

(1) वार्षिक मूल्य की गणना

वार्षिक मूल्य = कारपेट एरिया x निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर x 12

या

आच्छादित क्षेत्रफल ग निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर x 12 x 80 प्रतिशत

(2) देय कर–अधिनियम की धारा 148 के अधीन निर्धारित दरों के अनुसार वार्षिक मूल्य के आधार पर कर देय होगें।

(3) छूट– अधिनियम में विहित उपबन्धों के अनुसार मूल्यांकन तथा देय कर में छूट अनुमन्य होगी।

(4) स्वनिर्धारण–आवासीय भवन के विषय में सम्पत्तिकर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी व्यक्ति या अन्य दायी व्यक्ति नियम 4 और नियम 4–ग के अनुसार कर निर्धारित करते हुए और नियम 3 में अपेक्षित विवरणी के स्थान पर इस नियमावली के प्रपत्र 'क' में सम्पत्ति का विवरण अंकित करते हुए नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित बैंक में नियम 3(1) के अधीन निर्धारित दिनांक तक प्रपत्र 'क' और चालान के साथ कर जमा करेगा।

(5) स्वकर निर्धारण में विशेष उपबन्ध –उपनियम (4) के अधीन नियम दिनांक तक स्वनिर्धारण द्वारा सम्पत्ति करो के दायित्व का भुगतान पूर्व वर्ष के दायित्व की सीमा, जैसे सरकार द्वारा समय–समय पर विहित की जाये, से अधिक नहीं होगा।

स्तम्भ–2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

4–ग कर निर्धारण–का निर्धारण निम्नांकित के आधार पर किया जायेगा–

(क) (एक) एक आवासीय भवन के वार्षिक मूल्य की गणना–कारपेट एरिया x निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर x 12

या

आच्छादित क्षेत्रफल x निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया दर x 12 x 80 प्रतिशत

(दो) आवासीय भूमि की वार्षिक मूल्य की गणना– भूमि का क्षेत्रफल x निर्धारित प्रति इकाई क्षेत्रफल मासिक किराया x 12

(ख) (एक) अनावासीय भवनों की वार्षिक मूल्य की गणना–अनावासीय भवनों की वार्षिक मूल्य की गणना– आच्छादित क्षेत्रफल x आवासीय भवन की दर के संबंध में गुणक के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की दर x 12

(दो) अनावासीय भूमि के वार्षिक मूल्य की गणना भूमि का क्षेत्रफल x आवासीय भवन की दर के सम्बन्ध में गुणक के आधार पर नियत प्रति इकाई क्षेत्रफल की मासिक दर x 12

(2) संदेय कर– अधिनियम की धारा 148 के अधीन नियत दरों के अनुसार वार्षिक मूल्य के आधार पर कर संदेय होंगे।

(3) छूट – आवासीय भवनों के वार्षिक मूल्य में छूट अनुमन्य होगी और अधिनियम में विहित उपबन्धों के अनुसार कर संदेय होंगे।

(4) स्वनिर्धारण– भवन के विषय में सम्पत्ति कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी व्यक्ति या अन्य दायी व्यक्ति नियम 4 और नियम 4–ग के अनुसार कर निर्धारित करते हुए और नियम 3 में अपेक्षित विवरण के स्थान पर इस नियमावली के यथास्थिति प्रपत्र 'क' या प्रपत्र 'ग' में सम्पत्ति का विवरण अंकित करते हुए नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित बैंक में नियम 3क उपनियम (1) के अधीन निर्धारित दिनांक तक यथास्थिति प्रपत्र 'क' या 'ग' और चालान के साथ कर जमा करेगा।

संख्या-1622/नौ-9-2019-85ज/05 टी

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊः दिनांक-11 सितम्बर, 20

विषय- नगर निगम सम्पत्ति कर नियमावली, 2000 में संशोधन कर नगर निगम (सम्पत्ति कर) (तृ संशोधन) नियमावली, 2019 प्रख्यापित किये जाने विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में उल्लेखनीय है कि निवर्तमान सम्पत्ति कर नियमावली को सरल अं जनहित कार्य बनाने के उद्देश्य से नगर निगम सम्पत्ति कर नियमावली, 2000 में संशोधन कर नगर निग (सम्पत्ति कर) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2019, अधिसूचना सं0-1302/नौ-9-2019-85ज/05टी0सी' दिनांक-23.07.2019 के माध्यम से प्रख्यापित की गयी है।

2. नगर निगम (सम्पत्ति कर) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2019 की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रे की जा रही है कि प्रस्तुत नियमावली में विहित प्राविधानों के अनुसार सम्पत्ति कर निर्धारण करते हुये क की कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
11/9/19
(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैवः-

प्रतिलिपि निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाह हेतु प्रेषित ।

T.S | R.F. I & | MTC
16/9/19

आज्ञा से,
(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

क्रम-संख्या–143

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 23 जुलाई, 2019

श्रावण 1, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग–9

संख्या 1302/9–9–2019–85ज-05टी0सी0

लखनऊ, 23 जुलाई, 2019

अधिसूचना

0आ0–198

चूँकि उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2018 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 540 की अपेक्षानुसार आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने के लिये सरकारी अधिसूचना संख्या 762/नौ–9–2018–85ज-05टी0सी0, दिनांक 26 सितम्बर, 2018 प्रकाशित की गयी थी;

और, चूंकि कोई आपत्ति या सुझाव नियत समय के भीतर प्राप्त नहीं हुआ है;

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा 174, 207क, 207ख, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 और 221ख के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली "उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2019" कही जायेगी।

(2) यह उत्तर प्रदेश के समस्त नगर निगमों के लिये लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 4-क का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 में नियम 4–क में उपनियम (2) में, अनुसूची में नीचे स्तम्भ–1 में दी गयी क्रम सं0–1 की प्रविष्टि के स्थान पर स्तम्भ–2 में दी गयी प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी अर्थात :–

स्तम्भ-एक विद्यमान प्रविष्टि		स्तम्भ-दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टियाँ	
सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की मासिक किराये की दर	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवनों की मासिक किराये की दर
प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक कॉम्पलेक्स, दुकाने और अन्य प्रतिष्ठान, बैंक, कार्यालय, होटल, तीन स्टार तक के होटल, निजी होटल, कोचिंग और प्रशिक्षण संस्थान (राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त के सिवाय)।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का पाँच गुना।	(1) प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक कॉम्पलेक्स, बाजारों में स्थित दुकानें, टेण्ट हाउस, भवन निर्माण सामग्रियों की दुकानें और बैंक, बैंक ए0टी0एम0, वित्तीय कम्पनियों तथा गैर सरकारी कोचिंग सेण्टर।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का पाँच गुना।
		(2) आवासिक क्षेत्र में चाय, दूध, ब्रेड, अण्डों, पान, धोबी/लाण्ड्री, फलों और सब्जियों, फोटोस्टेट, नाई/हेयर ड्रेसर और दर्जी की दुकानों के रूप में प्रयोग की जा रही अधिकतम 120 वर्ग फीट क्षेत्रफल की दुकानें।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का डेढ गुना।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Consitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1302/IX-9-2019-85J-05T.C., dated July 23, 2019:

No. 1302/IX-9-2019-85J-05T.C

Dated Lucknow, July 23, 2019

WHEREAS Government Notification no. 762/IX-9-2018-85J/05T.C. dated September 26, 2018 was published to invite objections and suggestion as required under section 540 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (U.P. Act no. 2 of 1959) hereinafter referred to as the said Act with regard to the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) (Third Amendment) Rules, 2018 and Whereas no objections or suggestion has been received within the stipulated time;

NOW, therefore, in exercise of the powers under sections 174, 207A, 207B, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 and 221B of the said Act, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) Rules, 2000.

THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (PROPERTY TAX) (THIRD AMENDMENT) RULES, 2019

Short title, extent and commencement

1. (1) These rules shall be called the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) (Third Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall be applicable to all the Municipal Corporations in Uttar Pradesh.

(3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of Rule 4-A

2. In the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) Rules, 2000, in rule 4-A, in sub-rule (2), in the Schedule for the entry at serial no. 1 set out in Column-1 below, the entries set out in Column-2 shall be *substituted, namely* :–

COLUMN-1 Existing entry		COLUMN-2 Entries as hereby substituted	
Details of property	Rate of monthly rent of non residential buildings	Details of property	Rate of monthly rent of non residential buildings
1. Every type of commercial complexes, shops and other establishments, banks, offices, hotels, hotels upto three star, private hotels, coaching and training institutes (except State Government aided)	Five times of the rate fixed under sub-rule (1)	1. (i) Every type of commercial complexes, shops in markets, tent houses, building materials shops, and banks, bank A.T.Ms, finance Companies and Non-Government Coaching Centres.	Five times of the rate fixe under sub-rule (1)
		(ii) In Residential region shops having maximum area of 120 square feet, being used as Tea, Milk, Bread, Eggs, Paan, Washerman/Laundry, fruits and Vagetables, Photostate, Barbar/Hair Dresser and Tailoring Shops.	1.5 times of the rate fixed under sub-rule (1)

By order,
MANOJ KUMAR SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 160 राजपत्र (हि०)–2019–(471)–599 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1 सा० नगर विकास–2019–(472)–250 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।

160 RPH- nagar vikas anu-9-2019 Data-7 D

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-9
संख्या- 108/नौ-9-2024-42ज/23
लखनऊ, दिनांक- 17 जनवरी 2024

अधिसूचना

चूंकि उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 174, 207, 207क तथा 227 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल जिस उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2023 को बनाने का प्रस्ताव करती है; उसके संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 540 की उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित सरकारी अधिसूचना संख्या-1131/नौ-9-2023-42ज/2023 दिनांक-30 जून, 2023 द्वारा पूर्वोक्त अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से सात दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किये जाने के लिए प्रकाशित की गयी थी;

और चूंकि पूर्वोक्त अधिसूचना संख्या-1131/नौ-9-2023-42ज/2023, दिनांक-30 जून, 2023 के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर कार्यालय ज्ञाप संख्या-1648/नौ-9-2023-42ज/2023, दिनांक-15 सितम्बर, 2023 द्वारा विचार किया गया;

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा 174, 207, 207क तथा 227 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश, नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी। (2) यह उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त नगर निगमों के लिये लागू होगी। (3) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
नियम-4 क का संशोधन	2. उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 में नियम-4-क के उपनियम (2) की अनुसूची में-

(एक) नीचे स्तम्भ-एक में दी गयी क्रम संख्या 6 की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर स्तम्भ-दो में दी गई प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात्-

स्तम्भ-एक विद्यमान प्रविष्टि			स्तम्भ-दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टि		
श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की किराए की दर	श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की मासिक किराए की दर
6.	माल्स, चार सितारा और उससे ऊपर के होटल, पब्स, बार, वासगृह, जहाँ भोजन के साथ मदिरा भी परोसी जाती है	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का 6 गुना	6.	माल्स, पर्यटन विभाग से अरजिस्ट्रीकृत होटल, पब्स, बार, वासगृह, जहाँ भोजन के साथ मदिरा परोसी जाती है	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का छः गुना

(दो) नीचे स्तम्भ-एक में दी गयी क्रम संख्या 8 की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर स्तम्भ-दो में दी गई प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात्-

स्तम्भ-एक विद्यमान प्रविष्टि			स्तम्भ-दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टि		
श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की किराए की दर	श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की मासिक किराए की दर
8.	औद्योगिक इकाइयाँ, सरकारी अर्द्धसरकारी और सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का तीन गुना	8.	औद्योगिक इकाइयाँ, स्टार श्रेणी के होटल एवं रिसार्ट्स एवं पात्र पर्यटन इकाइयां जो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग से रजिस्ट्रीकृत हों, सरकारी अर्द्धसरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालय।	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का तीन गुना

आज्ञा से,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 108(1)/नौ–9–2024–42ज/23 तददिनांक।

प्रतिलिपि–**संयुक्त निदेशक,** राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उक्त अधिसूचना के अंग्रेजी रूपान्तर सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक–17 जनवरी, 2024 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट, भाग–4 के खण्ड–ख में प्राथमिकता के आधार पर प्रकाशित कराकर उसकी 500 प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(मो0 वासिफ)
अनु सचिव।

संख्या– 108(2)/नौ–9–2024–42ज/23 तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. **प्रधान स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव,** उ0प्र0 शासन।
2. **समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,** उ0प्र0 शासन।
3. **अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,** उ0प्र0 शासन।
4. **निदेशक,** नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. **समस्त नगर आयुक्त,** नगर निगम, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को अपने कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर लगवायें तथा व्यापक प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें।
6. **स्थानिक आयुक्त,** उ0प्र0 शासन नई दिल्ली।
7. **समस्त अनुभाग,** नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. **निजी सचिव, मा0 मंत्री,** नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. **कम्प्यूटर सेल,** नगर विकास विभाग को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना नगर विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

(मो0 वासिफ)
अनु सचिव।

Uttar Pradesh Shasan
Nagar Vikas Anubhag-9

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 108/ IX-9-2024-42J/2023 dated 17 January, 2024 :

No. 108 /IX-9-2024-42J/2023
Lucknow : Dated : 17 January, 2024

WHEREAS the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) (Fourth Amendment) Rules, 2023 which the Governor proposes to make in exercise of the powers under sections 174, 207, 207A and 227 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (U.P. Act no. 2 of 1959) (hereinafter referred to as the "said Act") read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) was published, as required under sub-section (2) of section 540 of the said Act, vide Government Notification no. 1131/IX-9-2023-42J/2023, dated 30th June, 2023 inviting objections and suggestions in respect thereof within seven days from the date of publication of the afore said notification in the Gazette;

AND WHEREAS objections and suggestions received in pursuance of the aforesaid Notification no. 1131/IX-9-2023-42J/2023 dated 30th June, 2023 were considered vide Office Memorandum no. 1648/IX-9-2023-42J/2023 dated 15th September, 2023 ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sections 174, 207, 207A and 227 of the said Act, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) Rules, 2000, namely:-

THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (PROPERTY TAX) (FOURTH AMENDMENT) RULES, 2023

Short title, extent and commencement	1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) (Fourth Amendment) Rules, 2023. (2) They shall be applicable to all Municipal Corporations of the State of Uttar Pradesh. (3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.
Amendment of rule 4-A	2. In the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) Rules, 2000 in the Schedule to sub- rule (2) of rule 4-A :-

(i) for the existing entries at serial no.6 set out in Column-I below, the entries as set out in Column-II shall be substituted, namely :-

COLUMN-I *(Existing entry)*			**COLUMN-II** *(Entry as hereby substituted)*		
Category	**Details of Property**	**Rate of monthly rent of non- residential building**	**Category**	**Details of Property**	**Rate of monthly rent of non- residential building**
6.	Malls, Hotels of four stars and above, pubs, bars, lodging house where wine is served with food	Six times of the rate fixed under sub - rule (1)	6.	Malls, hotels not registered with Tourism Department; pubs, bars, lodging house where wine is served with food	Six times of the rate fixed under sub-rule (1)

(ii) for the existing entries at serial no.8 set out in Column-I below, the entries as set out in Column-II shall be substituted, namely :-

COLUMN-I *(Existing entry)*			**COLUMN-II** *(Entry as hereby substituted)*		
Category	**Details of Property**	**Rate of monthly rent of non-residential building**	**Category**	**Details of Property**	**Rate of monthly rent of non-residential building**
8.	Industrial units, offices of Government, Semi - Government and public undertakings	Three times of the rate fixed under sub-rule (1)	8.	Industrial units, star category Hotels and resorts, and eligible tourism units registered with Uttar Pradesh Tourism Department, offices of Government, Semi-Government and public undertakings	Three times of the rate fixed under sub-rule (1)

By order,

(Amrit Abhijat)
Principal Secretary

(5) स्वकर निर्धारण में विशेष उपबन्ध–उपनियम (4) के आधीन नियत दिनांक तक स्वनिधारण द्वारा सम्पत्तिकरों के दायित्व का भुगतान पूर्व वर्ष के दायित्व की सीमा, जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर विहित की जाये, से अधिक नहीं होगी।

(6) प्रोत्साहन – अनावासिक भवनों के स्वामियों या अध्यासियों को यथास्थिति, भवन या भूमि के वार्षिक मूल्य में छूट प्रदान करते हुये निम्नलिखित रीति से प्रोत्साहन (इन्सेन्टिव) दिया जा सकेगा :

(क) ऐसे भवन, जिसमें वर्षा जल संचयन या भूगर्भ जल संभरण की प्रणाली संस्थित हो और प्रचलन में हो या कम से कम क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत भाग वृक्षारोपण या हरियाली द्वारा आच्छादित हो या समुचित या पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध हो या व्यापार या विनिर्माण या ऐसे अन्य क्रियाकलापों में लगा हो जिससे प्रदूषण उत्पन्न होता हो परन्तु प्रदूषणरोधी उपाय अपनाये गये हो, वार्षिक मूल्य में 2 प्रतिशत की छूट प्रदान करते हुये प्रत्येक को प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा। परन्तु यह कि उपर्युक्त छूट इस खण्ड में उल्लिखित सुविधाओं और उपायों की विद्यमानता और उनके उचित रखरखाव का सत्यापन करते हुये वर्षानुवर्ष आधार पर प्रदान की जायेगी।

(ख) खण्ड (क) में यथा उल्लिखित ऐसे भवनों के वार्षिक मूल्य में 2 प्रतिशत तक की वृद्धि की जायेगी, यदि इस भवन में खण्ड (क) में उल्लिखित उपाय न उपलब्ध कराये गये हों।

नियम–5 का संशोधन 7– उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 दिये गये नियम–5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् –

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम 5–कर निर्धारण सूची	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 5– कर निर्धारण सूची
(1) सभी भवनों या भूखण्डों या दोनों के सम्बन्ध में कर निर्धारण सूची कर–गणना के पश्चात् निम्नलिखित आधार पर तैयार की जायेगी – (क) भूमि या भवन के स्वामी या अध्यासी द्वारा प्रपत्र 'क' और 'ख' पर प्रस्तुत किये गये विवरण के आधार पर या (ख) नियम समय के भीतर प्रपत्र 'क' या 'ख' में सूचनायें न देने की स्थिति में नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एकत्र की गयी सूचनाओं के आधार पर। (ग) कर निर्धारण सूची में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे– (एक) सड़क या मोहल्ले, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो, का नाम (दो) नाम या संख्या या किसी अन्य विनिर्दिष्टि द्वारा जो पहचान के लिए पर्याप्त हो, सम्पति का अभिधान। (तीन) स्वामी का नाम, यह उल्लेख करते हुए कि स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है यदि किराये पर है तो किरायेदार के नाम।	(1) सभी भवनों या भूखण्डों या दोनों के सम्बन्ध में कर निर्धारण सूची कर–गणना के पश्चात् निम्नलिखित आधार पर तैयार की जायेगी – (क) भवन और भूमि के स्वामी या अध्यासी द्वारा प्रपत्र 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' पर प्रस्तुत किये गये विवरण के आधार पर या (ख) नियम समय के भीतर प्रपत्र यथा स्थिति 'क' या 'ख' या 'ग' या 'घ' में सूचनायें न देने की स्थिति में नगर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एकत्र की गयी सूचनाओं के आधार पर। (ग) कर निर्धारण सूची में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे– (एक) सड़क या मोहल्ले, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो, का नाम (दो) नाम या संख्या या किसी अन्य विनिर्दिष्टि द्वारा जो पहचान के लिए पर्याप्त हो, सम्पत्ति का अभिधान। (तीन) स्वामी का नाम, यह उल्लेख करते हुए कि यह स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है यदि किराये पर है तो किरायेदार के नाम।

(चार) भवन या भूमि के सगूह के लिए कारपेट एरिया आधारित तथा आच्छादित क्षेत्र आधारित प्रति वर्ग फुट किराये की न्यूनतम मासिक दर (पांच) भवन का कारपेट एरिया अथवा आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि का क्षेत्रफल दोनों, (छः) (चार) भवन निर्माण का वर्ष, (सात) भवन कर की प्रकृति (2) स्वकर निर्धारण के सम्बन्ध में सूची–ऐसे आवासिक भवनों को, जिनके विषय में प्रपत्र 'क' और अनावासिक भवनों को जिनके विषय में प्रपत्र 'ग' पर निर्धारित अवधि के भीतर स्वनिर्धारित कर जमा कर दिया गया हो, उपनियम (1) के अन्तर्गत तैयार की गयी सूची में प्रविष्ट तो किया जायेगा परन्तु नियम–5–क के उपबन्ध ऐसे भवनों पर लागू नहीं होंगे। प्रतिबन्ध यह है कि किसी शिकायत या जांच के आधार पर यदि कोई विवरण सही नहीं पाया जाता है तो सूची में प्रविष्ट विवरण एवं उसमें निर्धारित कर को पुनरीक्षित किया जायेगा तथा कारण बताओ नोटिस के पश्चात् शास्ति अधिरोपित की जायेगी।	(चार) भवन या भूमि के समूह के लिए कारपेट एरिया आधारित तथा आच्छादित क्षेत्र आधारित प्रति वर्ग फुट किराये की न्यूनतम मासिक दर (पांच) भवन का कारपेट एरिया अथवा आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि का क्षेत्रफल दोनों, (छः) भवन निर्माण का वर्ष, (सात) भवन कर की प्रकृति (2) स्वकर निर्धारण के सम्बन्ध में सूची–ऐसे आवासिक भवनों को, जिनके विषय में प्रपत्र 'क' पर और अनवासिक भवनों को, जिनके विषय में प्रपत्र'ग' पर विहित अवधि के भीतर स्वनिर्धारित कर जमा कर दिया गया हो, उपनियम (1) के अन्तर्गत तैयार की गयी सूची में प्रविष्ट तो किया जायेगा परन्तु नियम–5–क के उपबन्ध ऐसे भवनों पर लागू नहीं होंगे। प्रतिबन्ध यह है कि किसी शिकायत या जांच के आधार पर यदि कोई विवरण सही नहीं पाया जाता है तो सूची में प्रविष्ट विवरण एवं उसमें निर्धारित कर को पुनरीक्षित किया जायेगा तथा कारण बताओ नोटिस के पश्चात् शास्ति अधिरोपित की जायेगी।

नियम–7 का संशोधन

8–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये नियम–7 क के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् –

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
7– कर का स्वकर निर्धारण– किसी आवासिक भवन के सम्बन्ध में कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सम्पत्ति कर को स्वतः अवधारित कर सकता है और उसके द्वारा इस प्रकार निर्धारित सम्पत्ति कर को स्वकर निर्धारण विवरण के साथ अधिसूचित बैंक में जमा कर सकता है।	**7– स्वकर निर्धारण–** किसी भवन या भूमि या दोनों के सम्बन्ध में कर के भुगतान के लिए मुख्यतः दायी स्वामी या अध्यासी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सम्पत्ति कर को स्वतः अवधारित कर सकता है और उसके द्वारा इस प्रकार निर्धारित सम्पत्ति कर को स्वकर निर्धारण विवरण के साथ अधिसूचित बैंक में जमा कर सकता है।

नये प्रपत्र 'ग' और 'घ' का बढ़ाया जाना

9. उक्त नियमावली में प्रपत्र 'ख' के पश्चात् निम्नलिखित प्रपत्र बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्

NAGAR NIGAM, MEERUT

Meerut - Mohalla Wise Rate List

वार्ड सं०	मौहल्ले का नाम सर्किल रेट के	मासिक किराया अनुसार प्रति वर्गफुट	भूमि	कच्चा पक्का	अन्य भवन / भवन	पक्का आर०सी०सी० / आर०बी०सी०
1	नई बस्ती लल्लापुरा	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
	शिव हरी मन्दिर,सिद्धार्थपुरम	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
	भीम नगर,एक्ता विहार	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
	विकास नगर	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
	नई बस्ती राम मनोवर मन्दिर	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
2	मलियाना, मलियाना गगन कुंज,	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	जसवन्त नगर	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	संजय कालोनी,जसवन्त शुगर मिल कालोनी	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	शक्ति नगर मलियाना, शान्ति कुंज	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	मलियाना रोड	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	मलियाना बागपत रोड,नंदनी कुंज,गंगा कालोनी	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
3	भगवतपुरा	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	लक्ष्मनपुरी, हौरामनगर, आलोक विहार	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
	गणेश पुरी	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
4	मयूर विहार, एस–2–एस कारनेशन,	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	अंसल कालोनी, सुर्यादेव विहार,अग्रसेन विहार	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	ई–ब्लाक शास्त्रीनगर, रतन कुंज, आई–ब्लाक	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	ज्ञान निकेतन, चन्द्रकला एन्क्लेव,अंसल रोड	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	लक्ष्मीविहार,चाणक्यापुरी,रामापुरम,सांई कालोनी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	साई नगर,शेरगढ़ी, मायापुरी, हंसविहार	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
5	शिवलोकपुरी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	मेंहन्दी मोहल्ला, चौक मोहल्ला	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	मथेनीया, जस्सु, सादानपुरी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	न्यू गोविन्दपुरी	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
	शिव लोक नई बस्ती	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
6	शंकर नगर, कुण्डा ग्राम	1.12	0.11	0.12	0.45	0.67
	सुपरटैक ग्रीन विलेज,देवलोक मंगलपुरम,वेद	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	व्यासपुरी,सुपरटैक पॉमग्रीन,सूर्य पैलेस,विश्वा	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	इन्क्लेव,मेजर ध्यानचन्द नगर, दिल्ली रोड	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	मोहकमपुर, गायत्री स्टेट एक्सटेंशन, गायत्री	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	गार्डन,वाईपास दिल्ली रोड, डिफेंस गार्डन	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	वाईपास दिल्ली रोड,अंकुर कालोनी,सूर्य	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	पैलेस, मानसरोवर गार्डन,श्याम जी एन्क्लेव	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	सुपार्त सिटी,सूर्यापुरम,	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83

वार्ड सं०	मौहल्ले का नाम	मासिक किराया सर्किल रेट के अनुसार प्रति वर्गफुट	भूमि	कच्चा	अन्य पक्का भवन	पक्का भवन/ आर०सी०सी०/ आर०बी०सी०
	कुण्डा इण्डस्ट्रियल, सुन्दर पुठठा उर्फ	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
	ग्राम, मोहकमपुर ग्राम, डुंगरावली,	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
	उद्योगपुरम	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
7	पीलना सोफीपुर	1.39	0.14	0.15	0.56	0.95
	विवेक विहार	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	कृष्णा नगर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.83
	कोणांक कालोनी	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	एकता नगर, कावेरी कालोनी,रोशनपुर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.83
	कावेरी कालोनी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.83
	इन्द्रप्रस्थ स्टेट–2	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	कौशल्या नगर	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	डोगरा बस्ती, पी0ए0सी0, अमन विहार	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	न्यू फ्रेंडस कालोनी	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	वृन्दावन गार्डन 1, तिरूपति गार्डन	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	गणपति एनक्लेव, राजन कुंज	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	आनन्द निकेतन, गंगोत्री कालोनी	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	सनराईज, शान्ति नगर, परिवहन पुरम	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	ईशा अपार्टमेन्ट	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
8	लिसाड़ी	1.30	0.13	0.13	0.52	0.78
	नूर नगर	1.21	0.12	0.13	0.48	0.73
	नगला शेरखा, भगवती कुन्ज	1.30	0.13	0.13	0.52	0.78
9	कासमपुर	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
	नन्द पुरी, न्यू नन्द पुरी	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
	अशोकपुरी, न्यू अशोकपुरी, शाक्यपुरी,	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
	साधुनगर	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	टीका राम कालोनी, जानकी विहार 1	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	आर्मी कालोनी 1, फ्रैन्ड्रस कालोनी	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	लाला मौहम्मद पुर, लक्ष्मीनगर	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	लॉर्ड बुद्धा नगर	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
10	बराल परतापुर	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	गगोल रोड, कांशी,कताई मिल, शिव नगर	1.21	0.12	0.13	0.48	0.73
	अछरोन्डा,	1.21	0.12	0.13	0.48	0.73
11	शिवपुरम	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	चौहानपुरी, देवतापुरम	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	न्यू देवलोक	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
12	शोभापुर, चमन विहार	1.30	0.13	0.13	0.52	0.78
	जवाहर नगर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95

वार्ड सं०	मौहल्ले का नाम	मासिक किराया सर्किल रेट के अनुसार प्रति वर्गफुट	भूमि	कच्चा	अन्य पक्का भवन	पक्का भवन/ आर०सी०सी०/ आर०बी०सी०
	योगी पुरम	1.30	0.13	0.13	0.52	0.78
	श्रीराम विहार, सूर्या सिटी, वर्णिका स्टेट	1.30	0.13	0.13	0.52	0.78
	विकास गार्डन, मैलफोर्ड सिटी	1.30	0.13	0.13	0.52	0.78
	मैलफोर्ड सिटी 2, निहाल स्टेट	1.30	0.13	0.13	0.52	0.78
	रामा कुंज, गोल्ड कोस्ट	1.30	0.13	0.13	0.52	0.78
13	जय भीम नगर, दामोदर कालोनी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	हनी गोल्फ कालोनी, प्रेम प्रयाग कालोनी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	मोती प्रयाग, भोपाल विहार	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	मित्रलोक कालोनी,	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	अम्बेडकर मेडिकल कालेज रोड	2.97	0.30	0.33	1.19	1.78
14	कालियागढ़ी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	जागृति विहार से–7, 8	2.20	0.20	0.22	0.80	1.20
	कीर्ति पैलेस, लख्मी विहार	2.20	0.20	0.22	0.80	1.20
15	न्यू मुल्तान नगर, मुल्तान नगर, रतन नगर	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	इन्द्रा कालोनी, नन्दनी कुंज	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	मफेयर कालोनी बागपत रोड, ऋषि नगर	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	शेखपुरा, मोक्षपुरी	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	पुष्प विहार	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
16	रामगढ़ी	1.12	0.11	0.12	0.45	0.67
	औरंगशाहपुर डिग्गी, अजन्ता कालोनी,	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	जनकपुरी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	स्पोर्ट्स कालोनी	2.00	0.20	0.22	0.80	1.20
	चुंगी विक्टोरिया पार्क	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	जसरामपुरा	1.12	0.11	0.12	0.45	0.67
	यूनिवर्सिटि रोड	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	मंगल पाण्डे नगर से–1	1.40	0.14	0.15	0.56	0.84
	बलवन्त नगर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	जज कालोनी	1.40	0.14	0.15	0.56	0.84
17	अब्दुल्लापुर, जहाँगीर, खालसा बाज़ार	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	खिरनी, हंडिया मोहल्ला	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	अहमदपुरा, नई बस्ती, गढ़ी, कोर्ट, रैसना	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	ग्लोबल सिटी, गंगा सागर, कोरल स्प्रिंग्स	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
18	सराय काजी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	जागृति विहार सैक्टर 6 एवं 9	2.20	0.20	0.22	0.80	1.20
	कुंज विहार, सोमदत्त सिटी ए व बी ब्लॉक	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	तक्षशिला कालोनी	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	सोमदत्त विहार, तेज विहार,हरवंश विहार	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95

वार्ड सं०	मौहल्ले का नाम	मासिक किराया सर्किल रेट के अनुसार प्रति वर्गफुट	भूमि	कच्चा	अन्य पक्का भवन	पक्का भवन/आर०सी०सी०/आर०बी०सी०
	राजवंश विहार, हनुमान विहार	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
19	दायमपुर, इक्लास नगर डाबका	1.30	0.13	0.13	0.52	0.78
	सिल्वर सिटी, साई धाम, गणेश वाटिका	1.30	0.13	0.13	0.52	0.78
	बाला जी गार्डेन, प्रेम नगर, मयूर विहार	1.30	0.13	0.13	0.52	0.78
	मुरलीपुर, लखवाया, रोहिणी कुंज	1.30	0.13	0.13	0.52	0.78
	अमन विहार, भूषण विहार, अर्जुन पुरम	1.30	0.13	0.13	0.52	0.78
	श्री राम नगर, पालम विहार, सूर्या नगर	1.30	0.13	0.13	0.52	0.78
	विष्णु पुरम, सनसिटी, कवि नगर	1.30	0.13	0.13	0.52	0.78
	गोल्डन विहार, कृष्णा वर्ल्ड	1.30	0.13	0.13	0.52	0.78
	नीलकण्ठ एस्टेट, संगम विहार	1.30	0.13	0.13	0.52	0.78
20	उच्चा मौहल्ला, नई मण्डी, AWHO कॉलोनी	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	खटकाना मौहल्ला, साई प्लाजा	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	अजाद नगर, डिग्गी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	मारवाड़ी मौहल्ला, गिहरा मौहल्ला	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	रक्षापुरम, डिफेन्स कालोनी	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	इशापुरम, मीनाक्षीपुरम	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	न्यू मीनाक्षीपुरम	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
21	मॉडल टाऊन, आर्या नगर,शास्त्री कालोनी	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	राम नगर, मंगल पुरी, सुन्दर नगर,	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	जानकी विहार, तुलसी कालोनी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	डिफन्स एनक्लेव ए०, डिफेन्स एनक्लेव बी०	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	डिफन्स एनक्लेव सी०, टीचर कालोनी	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	श्रद्धा एनक्लेव	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
22	गालाबढ़, सरस्वती विहार से–1, 2	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	गोकुल विहार, गगन एनक्लेव,गगन विहार	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	जवाहर विहार फेस–2, हरदेव विहार	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	नन्द विहार	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	शिवरामपुरम, शान्तिकुंज, नारायण गार्डेन,	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	शालिमार गार्डेन, संगम विहार, कृष्णा विहार	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	एरा सिटी, तिरूपति एनक्लेव	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
23	गोविन्दीपुरी सुभाष पुरी, प्रेमपुरी, बड़ा बज़ार	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	पटेल पुरी, छोटा बाज़ार, जवाहर पुरी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	बादाम मण्डी,	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	न्यू गोविन्दपुरी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.78
24	कसेरू बक्सर, राधा गार्डेन,	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	यशोदा कुंज, लाल पार्क, तिरूपति गार्डेन,	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	पी०आर० एनक्लेव, नेहरू नगर	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28

वार्ड सं०	मौहल्ले का नाम	मासिक किराया सर्किल रेट के अनुसार प्रति वर्गफुट	भूमि	कच्चा	अन्य पक्का भवन	पक्का भवन/आर०सी०सी०/आर०बी०सी०
	पी०एन०टी० कालोनी, राजेन्द्र पुरम	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
25	अनुप नगर फाजलपुर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	खटिकपुरा संगम विहार	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	खटिकपुरा नई बस्ती	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	न्यू सैनिक विहार, सूर्या कालोनी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	तेज विहार हरवंश विहार, कृष्णा कालोनी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	बन्नू मियाँ कालोनी, महावीर नगर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	विकास एनक्लेव	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
26	तेजगढ़ी	2.97	0.30	0.33	1.19	1.78
	शास्त्रीनगर से–1, 6, 7	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	शास्त्रीनगर ब्लाक–ए, डी, एफ, जी, एच	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	गीता कालोनी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	तरू कुंज	2.97	0.30	0.33	1.19	1.78
	कुटी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
27	मुर्करबपुर पल्हैड़ा, कृष्णा प्लाजा	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	गुरूकुलपुरम	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	पल्लवपुरम फेस–1, 2, रॉयाल पार्क	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	मधु विहार, विजय अपार्टमेन्ट,कीर्तिनगर	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	शील कुंज, आनन्द लोक,वृदावन प्लाजा	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	गुरूकुल, बलवन्त एनक्लेव, डबल स्टोरी	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
28	पुर्वी रिठानी, इन्द्रापुरम कालोनी, रिझानी	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
	पश्चिमी रिठानी, अम्बेडकर नगर कालोनी	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
	परतापुर औद्योगिक क्षेत्र	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
29	सुभाष नगर, पुर्वा शेख लाल	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	पुर्वा मुफ्तियान,सराय मुफ्तियान	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
	सड़क हापुड़	3.72	0.37	0.41	1.20	1.80
	बगीचा मौ0 हुसैन	1.72	0.17	0.19	0.69	1.03
	पुर्वा ऐजाज अली	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
30	मोदीपुरम, जनता कालोनी,दुर्गा कालोनी	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	शिव नगर, पुष्प विहार, भरत विहार, न्यू	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	भरत विहार, देव नगर, एस०सी० कालोनी	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	रोशनी कुंज, रोशनपुर डौरली, दुर्गा फार्म	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	आकांशा पुरम, आकांशा हाईट, ईडनगार्डन	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	लोटस टावर, मेजर हरिश्चन्द, सन सिटी	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	कालोनी, गोल्डन एवेन्यू1–3 तक,	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	क्वीन्स लैण्ड पार्क कालोनी, असंल	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
31	शताब्दी नगर–1,2,3,4,5, पंचवटी	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89

वार्ड सं०	मौहल्ले का नाम	मासिक किराया सर्किल रेट के अनुसार प्रति वर्गफुट	भूमि	कच्चा	अन्य पक्का भवन	पक्का भवन/आर०सी०सी०/आर०बी०सी०
	कचनपुर घोपला, राजकमल एनक्लेव	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	शताब्दी नगर–4सी	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
32	सिविल लाईन, पुलिस लाईन,	3.72	0.37	0.41	1.20	1.80
	शर्मा नगर	2.60	0.26	0.29	1.04	1.22
	साकेत, साकेत एनक्लेव, साकेत कुंज	2.60	0.26	0.29	1.04	1.56
	मानसरोवर	2.60	0.26	0.29	1.04	1.56
	स्पोर्ट स्टेडियम	3.72	0.37	0.41	1.20	1.56
33	काजीपुर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	घोसीपुर	1.49	0.15	0.16	0.63	0.95
	राम मनोहर, लोहियानगर	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
34	शिव शक्ति नगर, प्रेम विहार, अम्बेडकर नगर	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	अग्रवाल कालोनी, बाल्मिकी नगर	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	साई पुरम	1.21	0.12	0.13	0.48	0.73
	तेजपाल एनक्लेव,इन्द्रा नगर, आर०के०पुरम	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
35	हाफिज़ाबाद मेवला	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	दिल्ली रोड	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	बेरीपुरा	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	पंजाबी पुरा (शम्भू नगर)	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	टी०पी० नगर	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	कमला नगर, शम्भु नगर	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	पंजाबी पुरा 2 (टी०पी० नगर)	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	उत्तम नगर	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	गुप्ता कालोनी	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	रघुकुल विहार	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	नन्दन विहार, संत विहार, महावीर नगर	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	जगन्नाथ पुरी, गुरू नानक नगर	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	श्री राम पैलेस	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
36	बुढ़रा जाहिदपुर	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	हुमायु नगर	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
	जमना नगर	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	ए–वन कालोनी	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
	माविन कालोनी	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
37	गंगा नगर ब्लाक–ए, बी, सी, डी, ई.	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	गंगा नगर ब्लाक–एफ, जी, एच, आई	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	गंगा नगर ब्लाक–जे, के, एल, एम., एन	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	गंगा नगर ब्लाक–ओ, पी, एक्स	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	भागीरथी कुंज, गंगाधाम, गंगा टावर	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28

वार्ड सं०	मौहल्ले का नाम	मासिक किराया सर्किल रेट के अनुसार प्रति वर्गफुट	भूमि	कच्चा	अन्य पक्का भवन	पक्का भवन / आर०सी०सी० / आर०बी०सी०
	गंगा गेलेक्सी,ग्रेटर गंगा, अलक नन्दा	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	गंगा गार्डन, गंगा सिटी, पेराडाईज	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
38	खड़ौली,	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	रामपुर पावटी, गोडविन कालोनी,बंडरसिटी	1.21	0.12	0.13	0.48	0.73
	अपेक्स सिटी अल्फा सिटी	1.21	0.12	0.13	0.48	0.73
	चन्द्रशेखर कालोनी, पठानपुरा, आनंदविहार	1.21	0.12	0.13	0.48	0.73
	सुभारती कैम्पस, लवकुश पुरम,दीप विहार	1.21	0.12	0.13	0.48	0.73
	नारायण कालोनी,	1.21	0.12	0.13	0.48	0.73
39	ब्रह्मपुरी पश्चिम	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	माता का बाग	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	शिव शंकरपुरी, किशनपुरी	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	सरदार पटेल गंज	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
	पांडव देहली गेट, स्मिथ गंज	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
40	नतेश पुरम	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	बुखार पुरा,दांतल जतौली,चौ0भीमसिंहनगर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	हरीनगर, नोर्थ सरधना,राजनगर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	ओमनगर,संत विहार, आफिसर कालोनी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	सैक्टर–6 श्रद्धापुरी, सै–सी श्रद्धापुरी ब्लाक–1	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	श्रद्धापुरी सै–1, 3, 4,5,6,7,9, ई ब्लाक	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	शिव विहार, सत्यम विहार,सरोज वाटिका	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	हरि लोक, फूल सिंह नगर, अनूश्री	1.58	0.16	0.17	0.63	0..95
	एनक्लेव, किशन कुंज, केन्द्रिय विहार	1.58	0.16	0.17	0.63	0..95
	कालोनी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
41	अशोक नगर,नगला ताशी,दिवान चन्द एन0	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	अमोलिक एन्क्लेव, जाट कालोनी,	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	श्रद्धापुरी सै–2 नरेन्द्र नगर,	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	कृष्णा कालोनी, कृष्णा विहार	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	हिन्द नगर खिर्वा रोड, कैलाश विहार,	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	ड्रीम सिटी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	सैनिक विहार, श्रद्धापुरी ए,बी,सी,डी,ई ब्लाक	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	सैनिक कालोनी,गायत्री हाइटस,आर्क सिटी	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	वैष्णोधाम कालोनी,	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
42	रेलवे रोड, जैन नगर, प्रेम पुरी,शान्ति नगर	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	आनन्द पुरी, रोनकपुरा	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	मधुवन कालोनी, दशमेश कालोनी	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	पुर्वा जुगल किशोर, भटी पुरा	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	देवपुरी, न्यू देवपुरी	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12

वार्ड सं०	मौहल्ले का नाम	मासिक किराया सर्किल रेट के अनुसार प्रति वर्गफुट	भूमि	कच्चा	अन्य पक्का भवन	पक्का भवन/ आर०सी०सी०/ आर०बी०सी०
43	ब्रहम्पुरी पुर्वी	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	गौतम नगर	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
44	मोहनपुरी, पुरानी मोहनपुरी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	न्यू हनुमानपुरी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	शिव पुरी	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	शिवाजी रोड	2.60	0.26	0.29	1.04	1.56
	न्यू मोहनपुरी, हनुमानपुरी, लक्ष्मीनगर, दुर्गानगर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	विकास विहार	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	कोर्ट कम्पाउण्ड, मेरठ कालेज कम्पाउण्ड	2.60	0.26	0.29	1.04	1.56
45	जागृति विहार सै-1,2,3,4,5	2.00	0.20	0.22	0.80	1.20
	शास्त्रीनगर ब्लाक-बी, सी	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
46	यादगार पुर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	संजय नगर,	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	बसंत विहार	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	पांडव नगर ब्लाक-जे	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	न्यू आर्य नगर, न्यू प्रभात नगर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
47	पुर्वा अहिरान	2.60	0.26	0.29	1.04	1.56
	शाहपीर गेट	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
	जाहिदयान	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	बुढ़ाना गेट	1.25	0.33	0.36	1.20	1.80
	सराय शाहपीर	2.60	0.26	0.29	1.04	1.56
	शाहपीर जदीद	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
48	माधवपुरम सै-1,2 3,4	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	लवकुश कालोनी,द्वारिकापुरी,सरस्वती लोक	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	प्रताप विहार	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
49	पुर्वा महावीर	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	कम्बोह गेट, बाग शाह रड़का	2.42	0.24	0.27	0.97	1.45
	वैली बाज़ार	3.25	0.33	0.36	1.20	1.80
	बागपत गेट	2.32	0.22	0.25	0.89	1.34
	कोटला	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
50	पांडव नगर ब्लाक-ए, बी, सी, डी, ई, एफ	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	पांडव नगर ब्लाक-जी	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	नंगला बट्टू, प्रभात नगर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	सुर्या नगर	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	प्रगति नगर	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	नेताजी नगर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	सर्वोदय कालोनी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95

वार्ड सं०	मौहल्ले का नाम	मासिक किराया सर्किल रेट के अनुसार प्रति वर्गफुट	भूमि	कच्चा	अन्य पक्का भवन	पक्का भवन/आर0सी0सी0/आर0बी0सी0
51	साबुन गोदाम	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	कन्हैय्या वाटिका, चन्द्रलोक, नवल विहार	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
	गुलमोहर पार्क, आनन्दा कालोनी	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
	बसंत कुंज, ज्वाला नगर, किशनपुरा	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
	सुमनपुरी	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	कालन्दी कालोनी, दिनेश विहार	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
52	भोपाल सिंह रोड, कालिज रोड	2.60	0.26	0.29	1.04	1.56
	करौली रोड	2.60	0.26	0.29	1.04	1.56
	तिलक रोड, जवाहर क्वार्टर	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	आजाद क्लाथ मार्केट	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	कल्याणी टेलिफोन एक्सचेंज	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	आदर्श नगर	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	पी0एल0 शर्मा रोड	2.60	0.26	0.29	1.04	1.56
	नेहरू नगर रोड	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	बेगम ब्रिज रोड	4.18	0.42	0.46	1.20	1.80
	वेस्टर्न कचहरी रोड	2.60	0.26	0.29	1.04	1.56
	विजय नगर	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
53	शास्त्रीनगर से–2, 3, 4, 5	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	नील की कोठी, वद्या नगर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
54	पुर्वा इलाही बक्श सैनी वाली गली	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	जाटान स्ट्रीट	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	खिस्तखजान, महाजन पाड़ा, मुर्करब हुसैन	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	द्वारिकापुरी, हरी नगर	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
	करम अली	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
	जाटव गेट	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
55	फतेहउल्लापुर, पहलवान नगर, नूर गार्डन	2.23	0.22	0.25	0.89	1.34
	चमन कालोनी, इत्तेफाक नगर	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	शोकत कालोनी	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
56	प्रहलाद नगर	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	पुर्वा अफज़ल रहमान, महमूद नगर	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	निचा सद्दीक नगर	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	सद्दीक नग, पदमपुरा	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	पिल्लोखड़ी रोड	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	वर्नी सराय	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
57	उदय सिंह, उदेय पार्क	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	पल्लवपुरम टी–पाकेट	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	ग्रेटर अप्पु एनक्लेव, यात्री पुरम, अक्षरधाम	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22

वार्ड सं०	मौहल्ले का नाम	मासिक किराया सर्किल रेट के अनुसार प्रति वर्गफुट	भूमि	कच्चा	अन्य पक्का भवन	पक्का भवन/आर0सी0सी0/आर0बी0सी0
	मधुर एनक्लेव, पल्लवपुरम फेस–2	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	जनता कालोनी	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
58	हनुमानपुरी, लक्ष्मी नगर, बनशी नगर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	सरस्वती मन्दिर, देवी नगर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	आर्या नगर	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	सूरजकुण्ड रोड	2.60	0.26	0.29	1.04	1.56
	गांधी नगर, राम बाग	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
59	जय देवी नगर, लाल सिंह नगर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	स्टेट बैंक कालोनी, सम्राट पैलेस	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	वैशाली कालोनी, पंचशील, शिव सरोवर	2.60	0.26	0.29	1.04	1.56
	मीरा एनक्लेव	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	जनता कालोनी, कल्याण नगर, मुरारी पुरम	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
60	नेहरू नगर, फुलबाग कालोनी	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
61	शास्त्रीनगर सै–8, 9, 11, 13	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	शास्त्रीनगर ब्लाक–एल 2	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	शास्त्रीनगर ब्लाक–क पुराना	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	शास्त्रीनगर ब्लाक–ज	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
62	इन्द्रा नगर–2, इन्द्रा नगर–1, लोधी बज़ार	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	बिशन चौक, दीप नर्सिंग होम, पजाया	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
63	शास्त्रीनगर एल–ब्लाक	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	प्रवेश विहार, बैंक कालोनी	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	वसुन्धरा कालोनी, सरदार पटेल नगर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	रामापुरम	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	शास्त्रीनगर के ब्लॉक 1, 2, 3, 4, 5	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
64	उत्तरी पटेल नगर	2.79	0.28	0.31	1.12	1.67
	पी0–सोतीगंज, उत्तर सोतीगंज	3.72	0.37	0.41	1.20	1.80
	देव नगर मिशन कम्पाउण्ड	2.79	0.28	0.31	1.12	1.67
	लाजपत राय मार्केट	3.72	0.37	0.41	1.20	1.80
	सराय खैरनगर	2.42	0.24	0.27	0.97	1.45
	पटेल नगर कालोनी,द0पटेलनगर	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
65	खैरनगर गेट, बाज़ार खैरनगर	2.42	0.24	0.27	0.97	1.45
	कोठी अतानस, टंकी कम्पाउण्ड	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
66	सराय बहलीम	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
	पुर्वा अब्दुलवाली	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	नौगजा, इगजा, पुर्वा निहाल सिंह	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
67	कैलाश पुरी, नौचन्दी कम्पाउण्ड, चैतन्यपुरम	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	नौचन्दी गढ़ रोड	2.97	0.30	0.33	1.19	1.78

वार्ड सं०	मौहल्ले का नाम	मासिक किराया सर्किल रेट के अनुसार प्रति वर्गफुट	भूमि	कच्चा	अन्य पक्का भवन	पक्का भवन / आर0सी0सी0 / आर0बी0सी0
	राजेन्द्र नगर, राम बाग, पंचवटी, माधोनगर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	प्रीत विहार, नरपत नगर, नौचन्दी ग्राउण्ड	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	दुर्गा नगर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
68	मकबरा डिग्गी, मकबरा अब्बू	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	मकबरा घोसियान	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	पुर्वा हाफिज़ अब्दुल करीम,कैसर गज	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
69	सराय लालदास	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
	लाला का बाज़ार	3.72	0.37	0.41	1.20	1.80
	इश्वर पुरी, ठठेरवाड़ा	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
	बजाजा, छत्ता अली रजा, सर्राफा	3.72	0.37	0.41	1.20	1.80
	हॉली चौक	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
	चाहमेमरान	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	मालवीय चौक	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
	डालम पाड़ा	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	कागज़ी बज़ार	3.72	0.37	0.41	1.20	1.80
	अनाज मण्डी, दाल मण्डी	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
	कुंचानील	3.72	0.37	0.41	1.20	1.80
	कच्ची सराय, माहेश्वरीपुरी, रांजो की कुआं	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
	कानून गोयान, बाबा शाहखाकी	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
	कबाड़ी बजार	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
	मुफ्तिवाड़ा	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	गुदड़ी बाजार	2.79	0.28	0.31	1.12	1.67
70	इस्माईल नगर, शाहनथन, छत्ता अनन्तराम	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
	तोपचीवाड़ा	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
	साबुन ग्राम, नक्कारचियान	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
	पादियान	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
	दाऊदग्राम	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	मेहमूद उल हक रोड	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
	तीर ग्रान	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
71	दक्षिणी इस्लामावाद	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	अजाद नगर	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
	पुर्वा पीर बक्श, दरिया गंज	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
72	पुर्वा इस्लामावाद	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	अजाद रोड गोला कुआं,	32	0.23	0.26	0.93	1.39
	बैंक कालोनी हापुड़ रोड, बुनकर नगर	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
	राम नगर	1.58	0.16	0.17	0.63	0.95
	अजाद रोड सड़क हापुड	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39

वार्ड सं०	मौहल्ले का नाम	मासिक किराया सर्किल रेट के अनुसार प्रति वर्गफुट	भूमि	कच्चा	अन्य पक्का भवन	पक्का भवन/आर०सी०सी०/आर०बी०सी०
	विकासपुरी, लुहार पुरा	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	अजाद रोड सड़क गढ़	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
	सड़क गढ कुंज विहार	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
73	जैदी नगर व मंजूर नगर	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	भवानी नगर	2.14	0.21	0.24	0.86	1.28
	ज़ैदी सोसाईटी	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	शास्त्रीनगर सै–10, शास्त्रीनगर सै–12	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
74	पुर्वा फय्याज़ अली, पुर्वा अहमद नगर	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	पुर्वा फतेह नगर	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
	पुर्वा करामत अली	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	शक्ति नगर	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	पुर्वा हामिद हुसैन	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
75	शाहजहाँ कालोनी, इस्लाम नगर	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	बेल पत्थर कालोनी	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
	समर गार्डन	2.23	0.22	0.25	0.89	1.34
	मदीना कालोनी, शहजाद कालोनी	1.30	0.13	0.14	0.52	0.78
	एस०एम० कालोनी/सिटी गार्डन	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
76	श्याम नगर पश्चिम,	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	तारापुरी खुशहाल नगर	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	पश्चिमी खुशहाल नगर	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	उमर गार्डन	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	इंदगाह गोल्डन	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
77	लक्खीपुरा	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
78	स्वामी पाडा	2.79	0.28	0.31	1.12	1.67
	वीरूचाह, जत्तीवाडा, भाटवाडा	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
	वेदवाडा	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
	छिपीवाडा	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	पंडामल बाजार	1.67	0.17	0.18	0.67	1.00
	मोरी पाडा	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	छाहशोर	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	रायजादगान	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
	सराये जीना	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
	सुभाष बाजार	2.79	0.28	0.31	1.12	1.67
	खन्दक	3.72	0.37	0.41	0.20	1.80
	कृष्णा पाड़ा	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
79	किदवाई नगर	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
	उमर नगर	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89

वार्ड सं०	मौहल्ले का नाम	मासिक किराया सर्किल रेट के अनुसार प्रति वर्गफुट	भूमि	कच्चा	अन्य पक्का भवन	पक्का भवन/ आर0सी0सी0/ आर0बी0सी0
80	करीम नगर	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
81	तारापुरी, मुमताज नगर, ईदगाह कालोनी	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	समर कालो.अबरार नगर,जनता गार्डन कालो	2.04	0.20	0.22	0.82	1.26
	न्यू समर कालोनी, समय कालोनी	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
82	फकरूद्दीन अली अहमद नगर पुर्वी	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
	आशियाना कालोनी हापुड़ रोड	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
	फतेहउल्लापुर रोड पुर्वी	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
83	फकरूददीन अली अहमद नगर	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
	पी–गली नं0 1 से 9					
84	फकरूद्दीन अली अहमद नगर	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
	पी–गली नं0 10 से 18					
85	जाकिर हुसैन कालोनी	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	रसूल नगर, ए–वन कालोनी	1.49	0.15	0.16	0.60	0.09
86	जाकिर हुसैन कालोनी भवन	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	संख्या 1 से 1166	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
87	जाकिर हुसैन कालोनी भवन	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	संख्या 1167 से 2592					
88	श्याम नगर पुर्वी,	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	मजीद नगर	1.49	0.15	0.16	0.60	0.89
	मेवगढ़ी	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	शालिमार गार्डन	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
89	रशीद नगर	2.32	0.23	0.26	0.93	1.39
	मिया मोहम्मद नगर	1.12	0.11	0.12	0.45	0.67
	गुलजार इब्राहीम	1.86	0.19	0.20	0.74	1.12
90	फिरोज नगर	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22
	शकूर नगर	1.39	0.14	0.15	0.56	0.83
	अलवी नगर	2.04	0.20	0.22	0.82	1.22

उपर्युक्त दरों की सूची 0 से 12 मी0 चौड़ी सड़क पर स्थित भवनों के लिये लागू होगी, 12 से 24 मी0 तक चौड़ी सड़क के लिए 0.10 पैसे 24 मी0 से अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित भवनों के लिए 0.20 पैसे अतिरिक्त प्रति वर्ग फुट (कारपेट एरिया) जोड़ते हुए गणना की जायेगी।

BANK DETAIL

चैक एवं NEFT/RTGS के लिये :

बैंक का नाम	:	केनरा बैंक, केसर गंज, मेरठ
खाता संख्या	:	85761010000012
आई०एफ०एस०सी० कोड	:	CNRB0018576

ON LINE पैसा जमा करने के लिये :

बैंक का नाम	:	HDFC BANK, गढ़ रोड, मेरठ
खाता संख्या	:	50100060703079
आई०एफ०एस०सी० कोड	:	HDFC0001911

ON LINE पैसा जमा करने के लिये :

बैंक का नाम	:	ICICI BANK, लालकुर्ती, मेरठ
खाता संख्या	:	628501044615
आई०एफ०एस०सी० कोड	:	ICIC0006285

Ptax.mnn.com पर जाकर ON LINE पैसा जमा करें

कार्यालय नगर निगम, मेरठ

प्रपत्र 'ग'

(नियम–7 देखिए)

अनावासीय भवनों का सम्पत्ति कर स्वकर निर्धारण प्रपत्र

1. निगम में दर्ज स्वामी/अध्यासी का नाम व पिता/पति का नाम : ....

....

(एक) स्वामी/अध्यासी का नाम .... प्रतिष्ठान का नाम..........

(दो) स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम ....

(तीन) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या व वार्ड का पता..........

....

(चार) स्वामी/अध्यासी के निवास का पता ....

....

(पाँच) अनावासीय सम्पत्ति का प्रकार : .... गुणांक ....

2. भवन या भूमि सम्बन्धी ब्यौरा –

(एक) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गफुट में)..........

(दो) खुली भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गफुट में) ....

(तीन) भवन/भूखण्ड में रेन हार्वेस्टिंग प्लांट के कार्यरत होने के सम्बन्ध में स्थिति – हाँ/नहीं

(चार) कुल भूखण्ड के 40% भू–भाग पर वृक्षारोपण की स्थिति – हाँ/नहीं

(पाँच) पर्याप्त पार्किंग की स्थिति – हाँ/नहीं

(छः) प्रदूषण निवारक संयन्त्र स्थापित हैं – हाँ/नहीं

3. **अवस्थिति का विवरण :**

(क) **भवन या भूमि अवस्थित है–**

(एक) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर

(दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर

(तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर

ख. **भवन के निर्माण की प्रकृति**

(एक) पक्का भवन, आर0सी0सी0 छत या आर0बी0 छत सहित

(दो) अन्य पक्का भवन, अस्वेस्टोज, फाइबर या टीनशेड

(तीन) कच्चा भवन –

4. भवन निर्माण का वर्ष ....

5. पूर्व निर्धारित वार्षिक मूल्य और निर्धारण वर्ष .... PTIN-सं0

6. वार्षिक मूल्य की गणना–

(एक) नगर आयुक्त द्वारा आवासीय भवन हेतु नियत किराया का मासिक दर –

(दो) नियमावली द्वारा विहित आवासीय भवन की दर के संबंध में गुणांक –

(तीन) भवन हेतु प्राप्त किराये का मासिक दर (एक) x (दो) –

(चार) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)–

(ए) बेसमेंट (आर0सी0सी0).......... शेड..........

(बी) भूतल (आर0सी0सी0).......... शेड..........

(सी) प्रथम तल (आर0सी0सी0) ....शेड..........

(डी) द्वितीय तल (आर0सी0सी0)..........शेड..........

(ई) तृतीय तल (आर0सी0सी0).. शेड..

(एफ) चतुर्थ तल (आर0सी0सी0).. शेड..

(जी) अन्य तल (आर0सी0सी0).. शेड..

कुल योग ....

(पांच) भवन का वार्षिक मूल्य =

(ख) भूमि का वार्षिक मूल्य –

(एक) नगर आयुक्त द्वारा आवासीय भूमि हेतु नियत किराये की मासिक दर–

(दो) नियमावली द्वारा विहित आवासीय भवन की दर के सम्बन्ध में गुणांक–

(तीन) भूमि (एक) x (दो) के लिए प्राप्त किराये की मासिक दर –

(चार) भूमि का क्षेत्रफल –

(पांच) भूमि का वार्षिक मूल्य –

(ग) कुल वार्षिक मूल्य (क) (पांच) + (ख) (पांच) =

(ए) नियम चार सी (6) (ए) अथवा (बी) के अन्तर्गत दी जाने वाली छूट अथवा बढ़ोत्तरी 2 प्रतिशत=

(बी) वार्षिक मूल्यांकन =

कुल शुद्ध वार्षिक मूल्यांकन =

7. कर की गणना –

(एक) सामान्य कर 12.5% -

(दो) जल कर 8% -

(तीन) डेनेज कर 2.5% -

(चार) अन्य कर (कर का नाम) –

सत्यापन

मैं .... वार्ड ....के मौहल्ला .... में स्थित भवन सं0.................... का स्वामी/अध्यासी एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि इस प्रपत्र में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ठीक और पूर्ण है। उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात को न तो छिपागा गया है और न ही मिथ्या उल्लिखित किया गया है।

दिनांक :.........................

हस्ताक्षर...

नाम..

पिता/पति/संरक्षक का नाम..........................

पता..

मोबाइल नं0..

ई–मेल आई0डी...

कार्यालय प्रयोग हेतु

लिपिक की टिप्पणी. : ....

....

राजस्व निरीक्षक की जांच आख्या..

....

कर अधीक्षक की निरीक्षणोपरान्त संस्तुति...

....

कर निर्धारण अधिकारी/सक्षम अधिकारी का अनुमोदन..

....

कार्यालय नगर निगम, मेरठ

प्रपत्र 'घ'

(नियम–3 देखिए)

अनावासीय भवन का सम्पत्ति कर स्वकर निर्धारण प्रपत्र

1. निगम में दर्ज स्वामी/अध्यासी का नाम व पिता/पति का नाम : ....

(एक) स्वामी/अध्यासी का नाम ....

(दो) स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम ....

(तीन) भवन/मकान/भूखण्ड संख्या............................... वार्ड .... मौहल्ला ....

(चार) स्वामी/अध्यासी के निवास का पता ....
....

(पाँच) अन्य विवरण, यदि कोई हो : ....

2. भवन या भूमि का विवरण –

(एक) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गफुट में)..

(दो) भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गफुट में) ....

(तीन) अन्य विवरण, यदि कोई हो..

3. अवस्थिति का विवरण :

(क) भवन या भूमि अवस्थित है –

(एक) 24 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

(दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

(तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

(ख) भवन के निर्माण की प्रकृति –

(एक) पक्का भवन, आर0सी0सी0 छत या आर0बी0 छत सहित ☐

(दो) अन्य पक्का भवन, अस्वेस्टोज, फाइबर या टीन शेड ☐

(तीन) कच्चा भवन – ☐

टिप्पणी:– कृपया प्रयोज्य खाने में सही का चिन्ह लगाये।

4. भवन निर्माण का वर्ष .... PTIN-सं0

5. पूर्व निर्धारित वार्षिक मूल्य और निर्धारण वर्ष ....

सत्यापन

मैं ______________________ वार्ड ________ के मौहल्ला ________________ में स्थित भवन सं0____________ का स्वामी/अध्यासी एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि इस प्रपत्र में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ठीक और पूर्ण है। उसमें अन्तर्विष्ट किसी बात को न तो छिपाया गया है और न ही मिथ्या उल्लिखित किया गया है।

दिनांक :................................

हस्ताक्षर..

नाम..

पिता/पति/संरक्षक का नाम..................................

पता..

मोबाइल नं0..

ई–मेल आई0डी..

कार्यालय प्रयोग हेतु

लिपिक की टिप्पणी :
....

राजस्व निरीक्षक की जांच आख्या..
....

कर अधीक्षक की निरीक्षणोपरान्त संस्तुति..
....

कर निर्धारण अधिकारी/सक्षम अधिकारी का अनुमोदन..
....

- स्वच्छता हमारा कर्त्तव्य है।
- पेड लगाओ जीवन बचाओ।
- कूड़ा निर्धारित स्थान पर ही डालें।
- जल है तो कल है।
- वर्ष 2024 मिशन मेरठ बने स्मार्ट सिटी।

मेरठ वासियों का यही सपना
सबसे स्वच्छ हो मेरठ अपना।